

कार्यालय प्रमुख अभियंता  
लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग  
छत्तीसगढ़ रायपुर

क्रमांक 6856 / त.शा. / प्र.अ. / लो.स्वा.यां.वि. / 2013

रायपुर, दिनांक 2-11-13

प्रति

मुख्य अभियंता,  
लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग,  
परिक्षेत्र रायपुर/बिलासपुर/जगदलपुर

विषय :- लोक निर्माण विभाग द्वारा किये जाने वाले डिपॉजिट कार्यों पर लिये जाने वाले सुपरवीजन चार्ज बाबत।

संदर्भ:-1. शासन का पत्र क्रमांक-एफ 1-61/2013/34-2/2540 रायपुर दिनांक 18.10.2013

\*\*\*\*\*

उपरोक्त विषयांतर्गत संदर्भित पत्र जो आपके कार्यालय को पृष्ठांकित है की छाया संलग्न है। कृपया अवलोकन करें। छत्तीसगढ़ शासन, लोक निर्माण विभाग, के पत्र क्रमांक-5-9/19/2013/निविदा नया रायपुर दिनांक 02.08.2013 द्वारा कार्यविभाग नियमावली की कं. 2.164 के अनुसार अब निक्षेप कार्यों (डिपॉजिट वर्क्स) पर पर्यवेक्षण प्रभार निर्धारित किया गया है लोक निर्माण विभाग द्वारा निर्धारित किया पर्यवेक्षण प्रभार को छत्तीसगढ़ शासन, लो.स्वा.यां.वि. में तत्काल प्रभाव से लागू किया है।

अतः निक्षेप कार्यों पर निर्देशानुसार पर्यवेक्षण प्रभार जोड़ा जावे।

सहपत्र : उपरोक्तानुसार।

पृ0 क्रमांक 6857 / त.शा. / प्र.अ. / लो.स्वा.यां.वि. / 2013  
प्रतिलिपि:-

1. अधीक्षण अभियंता, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग, मंडल रायपुर/दुर्ग/बिलासपुर/जगदलपुर/अंबिकापुर की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
2. कार्यपालन अभियंता, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी खंड, .....की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित

सहपत्र : उपरोक्तानुसार।

प्रमुख अभियंता  
लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग  
छत्तीसगढ़ रायपुर  
रायपुर दिनांक 2-11-13

प्रमुख अभियंता  
लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग  
छत्तीसगढ़ रायपुर

